निदेशकों की रिपोर्ट

एसटीसी की 55वीं वार्षिक आम सभा में वाणिज्य मंत्रालय तथा एसटीसी के अधिकारियों के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल के अन्य सदस्य

श्री एन.के. माथुर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसटीसी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए

मुझे निदेशक मंडल की ओर से वर्ष 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेशन के कार्य और लेखों की लेखा परीक्षित विवरणिका पर नियंत्रण और महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखों पर लेखा परीक्षित रिपोर्ट और टिप्पणियों सहित 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न्ता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

कार्पोरेशन का सम्पूर्ण कार्यनिष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दी गयी तालिका में संक्षेप में दिया गया है –

		₹ करोड़
	2010–11	**2009–10**
कारोबार		
निर्यात	492	1504
आयात	18938	19049
घरेलू	555	956
महा योग	**19985**	**21509**
वित्तीय		
व्यापार लाभ	178	145
ब्याज आय(निवल)	18	138
कर से पहले लाभ(पीबीटी)	80	171
कर के बाद लाभ(पीएटी)	56	107
लाभांश	**18**	**28.5**
निवल मूल्य	679	644

कार्य और व्यावसायिक निष्पादन

कार्पोरेशन ने 2010–11 के दौरान ₹ 20,000 करोड़ का कारोबार किया जिसमें ₹ 178 करोड़ का व्यापार लाभ शामिल है। यह उपलब्धि इसलिए और महत्वपूर्ण है कि इसे कार्पोरेशन के नियंत्रण के बाहर के कई कारकों द्वारा इसके व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के बावजूद प्राप्त किया गया है।

वर्ष के दौरान कर से पहले लाभ ₹ 80 करोड़ का रहा है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने वर्ष 2010–11 हेतु ₹ 3 प्रति शेयर की दर से (इक्विटी पूँजी का 30 प्रतिशत) ₹ 18 करोड़ के लाभांश की घोषणा करने की सिफारिश की है।

निदेशकों की रिपोर्ट

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा के साथ एसटीसी द्वारा कुछ नए उद्यम प्रारम्भ किये जाने के संबंध में परामर्श करते हुए एसटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आरक्षित

1 अप्रैल, 2010 को आपकी कम्पनी के पास आरक्षित और अधिशेष के रूप में ₹ 584 करोड़ की राशि उपलब्ध थी। आपके निदेशकों ने यह प्रस्ताव किया कि वर्ष 2010–11 हेतु उपलब्ध लाभ में लाभांश और उस पर लगने वाले कर के भुगतान के पश्चात ₹ 6 करोड़ की राशि कम्पनी के सामान्य आरक्षितों में स्थानांतरित कर दी जाए, ₹ 19.18 करोड़ की राशि निर्यात/आयात आकस्मिक आरक्षित में स्थानांतरित कर दी जाए तथा ₹ 10.33 करोड़ की शेष लाभ की राशि रखे गए लाभों के रूप में अग्रेषित कर दी जाए। तदनुसार 31 मार्च, 2011 को आरक्षित और अधिशेष ₹ 619 करोड़ के थे।

विदेशी मुद्रा अर्जन/जावक

वर्ष के दौरान कार्पोरेशन की निर्यातों, व्यापार मार्जिन के माध्यम से कुल विदेशी मुद्राअर्जन ₹ 386 करोड़ का रहा जबकि आयातों और अन्य खर्चों के द्वारा विदेशी मुद्रा जावक ₹ 19516 करोड़ का रहा।

अर्जित सम्मान/पुरस्कार

वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने कई सम्मान और पुरस्कार अर्जित किये जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

- निवल बिक्रियों के संबंध में सार्वजनिक उद्यमों के विभाग द्वारा किए गए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2009–10 के अनुसार 206 पीएसयू में 14वाँ स्थान।

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया से राजभाषा शील्ड
प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

- निवल बिक्रियों के संदर्भ में फाइनेंशियल एक्सप्रेस (फरवरी, 2010) द्वारा 500 सर्वोच्च कम्पनियों में 22वाँ स्थान।
- बिजनेस स्टैंडर्ड (फरवरी, 2010) द्वारा सर्वोच्च एक हजार कम्पनियों में 25वाँ स्थान।
- अक्तूबर, 2010 में जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से 2009–10 के दौरान निर्यातकों को सोना आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के संवर्ग में प्रथम पुरस्कार जीता।
- नई दिल्ली में आयोजित तीसरी डीएसआईजे पीएसयू पुरस्कार 2011 समारोह में जेंटल जोंइन्ट मिनी रत्न – 1 (सबसे बड़ी विनिर्माण एतर कम्पनी) हेतु पुरस्कार जीता।
- कर्मचारी रिटेंशन प्रणालियों में नवीनीकरण में विशिष्ट उपलब्धि हेतु ग्रीन टेक फाउंडेशन, नई दिल्ली से ग्रीन टेक एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार 2010 जीता।
- प्रतिभा प्रबंधन हेतु एशिया के सर्वोत्तम नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2010 जीता।

वाणिज्य सचिव श्री राहुल खुल्लर तथा एसटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एन.के. माथुर, वाणिज्य मंत्रालय और एसटीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनः 2011–12 की प्रतियों का आदान–प्रदान करते हुए

अनुषंगी कंपनी का कार्यनिष्पादन

एसटीसीएल लिमिटेड (भूतपूर्व स्पाइसिज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड)

एसटीसी की पूर्ण स्वामित्व की बंगलौर स्थित कम्पनी एसटीसीएल मसाले और अन्य कृषिगत उत्पादों के आयात निर्यात और स्वदेशी व्यापार में संलिप्त है।

माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुशील कुमार शिन्दे से जेंटल जाइंट्स अवार्ड (सबसे बड़ी विनिर्माण–एवर कंपनी) प्राप्त करते एसटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एन.के. माथुर

निदेशकों की रिपोर्ट

एसटीसी की एमओयू बातचीत के अवसर पर एसटीसी तथा सरकारी अधिकारियों के साथ एमओयू टास्क फोर्स के सदस्य

2010–11 के दौरान निधियों के अभावों और बैंकिंग सीमाओं के कारण इसकी गतिविधियाँ प्याज निर्यात और इलायची की नीलामियों के संबंध में मुख्य रूप से एनओसी जारी करने तक सीमित रही।

2010–11 हेतु एसटीसीएल के वार्षिक लेखे अभी अंतिम रूप दिए जाने हैं।

2009–10 हेतु लेखों के अनुसार एसटीसीएल का 2007–08 के दौरान और इसके पूर्व किए गए व्यापारिक सौदों में इसके व्यवसाय एसोसिएट से बकायों की वसूली के लिए किए गए प्रावधानों के कारण ₹ 1342 करोड़ का एक नकारात्मक निवल है।

भारतीय विदेशी मानवीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बेनिन को 60 एम्बुलेंसों की आपूर्ति

कार्मिक

कार्पोरेशन की 31.3.2011 को जनशक्ति 864 है जिसमें 536 प्रबंधक और 328 स्टॉफ है।

वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने सीधे ही व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से एमबीए/सीए योग्यताओं वाले 17 परिवीक्षा अधिकारियों की भर्ती की है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने सौहार्दपूर्ण और एकतापूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना जारी रखा। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पारस्परिक विश्वास और समझ के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से किए गए विचार–विमर्श के माध्यम से बनाए रखे गए जिसके द्वारा कम्पनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के संबंध में कार्मिक मुददों पर एक सम्पूर्ण सहमति पर पहुँचने में मदद मिली। वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने कुछ नयी कल्याण योजनाएँ प्रस्तुत कीं और सम्पूर्ण उत्पादकता प्रदान करने के लिए कुछ नीतियों और नियमों में संशोधन किया।

निदेशकों की रिपोर्ट

मॉन्ट्रियल, कनाडा में इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एसोसिएशन के 79वें वार्षिक सम्मेलन में एसटीसी का प्रतिनिधिमंडल

मानव संसाधन विकास

कार्पोरेशन इसकी सराहना करता है कि मानव संसाधन विकास माइक्रो और मैक्रो स्तरों पर बढ़ोत्तरी और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए कार्पोरेशन निरंतर रूप से अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण और फील्ड वर्क द्वारा अधिकतम रूप से अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास करता रहता है ताकि वे व्यक्तिगत लक्ष्यों सहित संगठनात्मक स्तर पर लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। वर्ष के दौरान कार्पोरेशन द्वारा आयोजित किये गए इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 620 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया जबकि 66 कर्मचारियों को बाहरी सम्मेलनों/संगोष्ठियों के लिए नामांकित किया गया। प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यगत, तकनीकी पहलुओं सहित व्यवहारगत पहुलओं जैसे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, कर कानून, वित्त, कम्प्यूटर कार्य, कार्पोरेट शासन, सतर्कता, अभिवृत्ति निर्माण, तनावमुक्त रहनसहन और कार्यगत संतुलन आदि को सम्मिलित किया जाता है। पहली बार कार्पोरेशन ने वरिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधकों के लाभ हेतु भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (एएससीआई) के सहयोग से अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त पर विशेष रूप से तैयार किए गए प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया। एसटीसी युवा कार्यकारी प्रबंधकों की प्रतिभा को विकसित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है ताकि भविष्य में उन्हें चुनौतियों का सामना करने में मदद मिले। आईआईएफटी नई दिल्ली में एसटीसी द्वारा आयोजित किये गए एक वृहद और भिन्न कार्यक्रम में वर्ष के दौरान कार्पोरेशन में नौकरी में आए सभी नए परिवीक्षा अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में एसटीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी मौका दिया गया।

एससी/एसटी/ओबीसी और शारीरिक रूप से विकलांग

व्यक्तियों की भर्ती कार्पोरेशन एससी/एसटी/ओबीसी और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गए मार्गनिर्देशों और नीतियों का पालन करता रहा है। वर्ष के दौरान 3 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी और 1 शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी को भर्ती किया गया।

निदेशकों की रिपोर्ट

राजभाषा

कार्पोरेशन भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में अपने रोजाना के कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करता है। वर्ष के दौरान समय–समय पर विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें और हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हिन्दी दिवस के अवसर पर कार्पोरेट कार्यालय और शाखाओं में राजभाषा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु कुछ चुने हुए कर्मचारियों/प्रभागों को पुरस्कृत किया गया।

कार्पोरेशन में राजभाषा के कार्य की प्रगति की अनुशंसा करते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने इसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस शृंखला में एसटीसी को 2009–10 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने पर भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर–कमलों से राजभाषा शील्ड प्रदान की गयी। कार्पोरेट कार्यालय और शाखाओं में राजभाषा से संबंध कार्य की समय–समय पर संसदीय राजभाषा समिति जाँच की गई है और इसके संबद्ध कार्य की प्रशंसा की गयी है। एसटीसी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अधीन राजभाषा के प्रसार–प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रति प्रतिबद्ध है।

सतर्कता गतिविधियाँ

कार्पोरेशन के सतर्कता प्रभाग में वर्ष के दौरान निम्नलिखित सतर्कता गतिविधियाँ कीं :–

– कर्मचारियों के मध्य भ्रष्टचार को दूर करने के लिए और एकता के कुछ मानदण्डों को बनाए रखने के लिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एसटीसी के कार्पोरेट कार्यालय और शाखाओं में 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह मनाने के एक भाग के रूप में कार्पोरेट कार्यालय में "रोकथाम सतर्कता" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसके दौरान सीवीओ द्वारा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जोखिम प्रबंधन

टाउलाउस, फ्रांस में एयरबस, एस.ए.एस. की सुविधाओं का निरीक्षण

निदेशकों की रिपोर्ट

सस्कैचवान प्राविंस, कनाडा के कृषि मंत्री की अध्यक्षता के प्रतिनिधिमंडल के साथ एसटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एन.के. माथुर और निदेशक (विपणन) श्री खलील रहीम

पर एक प्रस्तुतिकरण किया गया। एसटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जोखिमों को कम करने हेतु एसटीसी में प्रणाली सुधार प्रबंधन में सुधार पर संदर्भ में एक इंटरएक्टिव सेशन भी रखा गया, इसके अलावा शाखा कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता और भ्रष्टाचार निरोधक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

– परिवीक्षा अधिकारियों के लिए सतर्कता की भूमिका और तंत्र पर इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

– विभिन्न एजेंसियों/स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की सही प्रकार से जाँच की गयी।

– जो विभागीय पूछताछ सतर्कता दृष्टिकोण की थीं, उनको जाँचा गया।

– सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार नियामक एजेंसियों को विवरण/सूत्र प्रदान करने के लिए तथा रोकथाम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ सतत सम्पर्क बनाए रखा गया।

थाईलैंड के व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा करते एसटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

नैरोबी, केन्या में इलेक्शन टेक्नोलॉजी ओपन डे पर एसटीसी का स्टाल

– कार्पोरेशन के शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया जिसके द्वारा रोकथाम कार्रवाई आदि के लिए उच्च प्रबंधन के ध्यान में विभिन्न पहलुओं को लाया गया।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी के उन कर्मचारियों की एक विवरणिका संशोधित कम्पनी नियम 1975 (कर्मचारियों का विवरण) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के प्रावधानों के अधीन जो सीमा से अधिक परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं, कर्मचारियों की परिलब्धियों का दर्शाते हुए अनुलग्नक–1 के रूप में दर्शायी गयी हैं।

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार सार्वजनिक उद्यमों के विभाग द्वारा अधिसूचित कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों पर मार्गनिर्देशों के संदर्भ में अपने दायित्वों की प्रतिपूर्ति के रूप में कई सामाजिक गतिविधियाँ कीं।

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी प्रयोग आदि का संरक्षण

कम्पनी नियम 1988 (निदेशक मंडल की रिपार्ट में विवरण का प्रकटन) के अनुसार प्रदर्शित की जाने वाली सूचना शून्य है क्योंकि कम्पनी मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त है।

प्रबंधन–विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49 ;पअद्ध के संदर्भ में और सार्वजनिक उद्यमों के विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई हेतु कार्पोरेट शासन पर मार्गनिर्देशों के अनुसरण में एक प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक–प के रूप में दर्शायी गयी है जो कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

निदेशकों की रिपोर्ट

वित्तीय लेखा

वित्तीय विवरणिकाएँ भारत के चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सभी लागू लेखा मानदण्डों (एएस 1 से एएस 29) के अनुसरण में और कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुकूल सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार की गयी हैं।

कार्पोरेट शासन

कम्पनी पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यनिष्पादन उन्मुखन, ईमानदारी और एकता के उद्देश्यों को अपनाते हुए सर्वोत्तम कार्पोरेट शासन प्रक्रियाओं को अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

मई 2010 में सार्वजनिक उद्यमों के विभाग द्वारा जारी किए गए सीपीएसई हेतु कार्पोरेट शासन पर मार्गनिर्देशों और सूचीबद्धता करार के खंड 49 के संबंध में वर्ष 2010–11 हेतु कार्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट जो कम्पनी के लेखा परीक्षकों द्वारा शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए इसके एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है, इसके अनुलग्नक 3 के रूप में अभिन्न अंग है।

एसटीसी सीपीएसई हेतु कार्पोरेट शासन के डीपीएल मार्गनिर्देशों के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अपेक्षाओं को पूरा करता है सिवाए खंड 49 (1ए) के जो बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संदर्भ में है। इस संदर्भ में कार्रवाई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जा रही है तथा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही जारी है।

मत्स्य निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लिए एसटीसी द्वारा आयातित ट्राउट फीड मिल प्लांट का संस्थापन

गिंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट, चेन्नै में बन रहा, एसटीसी, चेन्नै शाखा का नया भवन

श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (कार्मिक) बेंगलूरु में एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस–2011 में एच.आर. लीडरशिप अवार्ड प्राप्त करते हुए

निदेशकों की रिपोर्ट

अन्य निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं मुख्य महा प्रबंधक के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से एसटीसी द्वारा आयातित दालों के ई–ऑक्शन के अवसर पर

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रण और महा लेखा परीक्षक द्वारा 2010–11 के वित्तीय वर्ष हेतु मैसर्स चंडोक एंड गुलानी, चार्टर्ड लेखाकारों को सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तरों सहित अनुलग्नक के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

वर्ष 2010–11 हेतु कार्पोरेशन के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न हैं और इस रिपोर्ट के भाग के रूप में है।

निदेशकों की उत्तरदायिता विवरणिका

निदेशकों की उत्तरदायिता विवरणिका के संबंध में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए) के अधीन अपेक्षाओं के अनुसरण में एतद् द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है कि :–

- वार्षिक लेखों की तैयारी में सामग्रीगत विचलनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों सहित लागू होने वाले मानदण्डों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो उपयुक्त हैं ताकि वे 31 मार्च, 2011 को कम्पनी के मामलों

श्री खलील रहीम, निदेशक (विपणन) की उपस्थिति में तमिलनाडु सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री वीरा षण्मुघा मोनी, आईएसएस के साथ जारी विचार–विमर्श

निदेशकों की रिपोर्ट

एसटीसी के दीर्घावधि सेवा पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ
श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (कार्मिक)

का एक सही स्वरूप दर्शा सकें और उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के लाभ या हानि की एक सही और सत्य तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

- निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और जालसाजी तथा अन्य अनियमिताओं को रोकने और उनकी खोज करने हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव हेतु उपयुक्त और पर्याप्त ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने एक जारी संदर्भ के आधार पर कम्पनी के वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (कार्मिक), सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत, एसटीसी द्वारा बेंगलूरू में पौधारोपण गतिविधि के उद्घाटन दिवस पर विश्व को और हरा–भरा बनाने के लिए उस अवसर पर बहुत से पौधे लगाए गए

निदेशकों की रिपोर्ट

सीएसआर के तहत एसटीसी ने इस्कॉन फूड रिलीफ फंड को निर्धन बच्चों के लिए दोपहर का भोजन ले जाने के लिए दान में दी डिलीवरी वैन

श्री एन.के. माथुर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसटीसी डिलीवरी वैनों को झंडी दिखाते हुए

एसटीसी सीएसआर कमेटी के सदस्यों के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकगण तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसटीसी, महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के परिसर में आयोजित शिविर में उद्घाटन दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए। जो गरीबी रेखा से नीचे के भाग के (बीपीएल) शारीरिक रूप से विकलांगों के पुनर्वास हेतु कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) प्रयास है। श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (कार्मिक) भी दिखाई दे रहे हैं

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसटीसी के 55वें स्थापना दिवस समारोह में केक काटते हुए

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान श्री सौरभ चन्द्र, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय को 10.11.2010 से डॉ. सुतानु बहुरिया के स्थान पर एसटीसी के बोर्ड में अंशकालिक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। बाद में डॉ. राजन कटोच, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय को 15.12.2010 से श्री सौरभ चन्द्र के स्थान पर एसटीसी के बोर्ड में अंशकालिक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। निदेशकगण श्री सुतानु बहुरिया और श्री सौरभ चन्द्र द्वारा उनकी पदावधि के दौरान उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए अपनी हार्दिक सराहना प्रकट करते हैं।

डॉ. राजन कटोच जिन्हें पिछली वार्षिक आम बैठक के पश्चात अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, वे

निदेशकों की रिपोर्ट

एसटीसी की सीएसआर गतिविधियों के तहत गाँव–चौहान पट्टी, नई दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कन्याओं को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण

गणतन्त्र दिवस समारोह में श्री एस.एस. रॉय बर्मन, निदेशक (विपणन), एसटीसी आवासीय कॉलोनी में नवारोपित पौधों में पानी देते हुए

आगामी वार्षिक आम बैठक तक कार्यालय संभाले रहेंगे। इसके अलावा भी 3 नए स्वतंत्र निदेशकों – श्री प्रशांतो बनर्जी, प्रोफेसर आर.एच. ढोलकिया और श्री नरेश दयाल को 24.6.2011 से बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 255 और 256 के प्रावधानों और कार्पोरेशन की एसोसिएशन के अनुच्छेद 89(2) के प्रावधानों के संदर्भ में आगामी वार्षिक आम बैठक में श्री एस.एस. राय बर्मन और श्री एम.एम. शर्मा रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उन्होंने पात्र होने के नाते पुनः नियुक्ति के लिए अपने आपको प्रस्तुत किया है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अधीन निर्धारित के अनुसार नियुक्ति/पुनः नियुक्ति मांगने वाले सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण कम्पनी के 55वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने वाले नोटिस में दिया गया है और यह वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

आचार संहिता

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अधीन और कार्पोरेट शासन पर सीपीएसई हेतु सार्वजनिक उद्यमों के विभाग द्वारा जारी किए गए

श्रीमती देवकी, निदेशक (राजभाषा), वाणिज्य मंत्रालय, श्री एन.के. निर्मल, निदेशक (वित्त) एवं श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (कार्मिक) हिन्दी पखवाड़े के उद्घाटन के अवसर पर

निदेशकों की रिपोर्ट

श्री एन.के. माथुर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसटीसी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में संबोधित करते हुए

मार्गनिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की विस्तृत आचार संहिता बनाई गयी है और इसे कम्पनी की वेबसाईट पर डाला गया है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मियों ने जिन पर यह आचार संहिता लागू होती है, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु इसके अनुपालन की पुष्टि की।

आभार

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान व्यावसायिक एसोसिएट्स और ग्राहकों द्वारा दर्शाए गए विश्वास और निरंतर संरक्षण के लिए इसकी सराहना करता है। बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय एवं जन वितरण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों, रेलवे पत्तनों, विधिक सलाहकारों, परामर्शदाताओं और शेयर धारकों से निरंतर प्राप्त मार्गनिर्देश और सहयोग के लिए इनका आभारी है। बोर्ड नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त सुझावों के लिए धन्यवाद अदा करता है।

आखिर में बोर्ड सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए भी सराहना करता है जिनके सहयोग के बगैर कम्पनी के लिए एक सतत आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में व्यवसाय करना संभव नहीं होता।

वास्ते और की ओर से – निदेशक मंडल

नरेश माथुर

(एन.के. माथुर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 2 अगस्त, 2011

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली 1975 और यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के अधीन यथापेक्षित सूचना जो 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

(क) वर्ष 2010–11 में संपूर्ण वित्त वर्ष में नियुक्त और कुल मिलाकर रु. 6,000,000 से अन्यून पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे :

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	31.3.2011 को आयु	परिलब्धियां (रु.)	नियुक्ति का प्रकार अनुबंध / नियमित	शैक्षिक योग्यता	एसटीसी में सेवा आरंभ करने की तारीख	कुल अनुभव (वर्ष)	पिछली नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ख) वित्त वर्ष 2010–11 के भाग के लिए नियुक्त और रु. 5,00,000 प्रतिमाह से अन्यून पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे :

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	31.3.2011 को आयु	परिलब्धियां (रु.)	नियुक्ति का प्रकार अनुबंध / नियमित	शैक्षिक योग्यता	एसटीसी में सेवा आरंभ करने की तारीख	कुल अनुभव (वर्ष)	पिछली नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	मीना गंगवानी	प्रबंधक	60 वर्ष	1,029,608.00	नियमित	एमए	16.04.74	36 वर्ष	एसटीसी
999	ए के मल्हण	मु.प्र.	60 वर्ष	990,928.00	नियमित	एमए	29.06.74	36 वर्ष	एसटीसी
3776	एन बी पंत	डी.जी.एम.	60 वर्ष	1,474,454.00	नियमित	बीए, पीजीडीएन	07.04.77	33 वर्ष	एसटीसी
3804	के के मदान	मु.प्र.	60 वर्ष	1,123,836.00	नियमित	बीए, पीजीडीएन	01.07.77	32 वर्ष	एसटीसी
3934	जी एन राव	जी.एम.	60 वर्ष	1,397,039.00	नियमित	बीए एसएएस	01.02.79	31 वर्ष	ए जी, उड़ीसा
	योग			6.015.865.00					

* वीआरएस / सामान्य सेवानिवृत्ति के मामले में अदा की गई भविष्य निधि की राशि को शामिल नहीं करना चाहिए।